

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

PROPOSAL NO. : FP/UP/WATER/119894/2021

विषय:— जनपद सोनभद्र में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, सोनभद्र द्वारा बुन्देलखण्ड/विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों हेतु पाईप पेयजल आपूर्ति परियोजनान्तर्गत जनपद-सोनभद्र की पटवध ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु ग्राम-कनछ के आराजी सं० 4ग वन भूमि में वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु 400X150=60000 वर्ग मीटर (6.00 हे०) व पाईप लाइन हेतु 1200X2.5 मी०=3000 वर्गमीटर (0.3 हे०) तथा जैकवेल (क्वार्टर) 40X25=1000 वर्ग मीटर (0.100हे०) योग (6.4हे०) एवं ग्राम कनछ के आराजी संख्या-1 मि० सोन नदी वन भूमि में 50X6=300 वर्गमीटर (0.0300हे०) इन्टेकवेल चैम्बर तक जाने हेतु पाइप लाइन एवं नदी के अन्दर इन्टेकवेल चैम्बर 5X5=25 वर्गमीटर (0.0025 हे०) योग (0.0325हे०) कुल योग-6.4325 हे० भूमि वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग संबंधी प्रस्ताव।

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाएए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए।)

8/10/21

ecf, NL परिचर का न्युल
.....की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृत
संस्तुति की जाती है।

18
Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow